

प्रेस नोट 26-12-2020

1. आज दिनांक 26.12.2020 को थाना सोहरामऊ पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा हाई-वे पर वाहनों से ईंधन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 06 शातिर अभियुक्तों 1. तसव्वर पुत्र महबूब हसन नि0ग्राम जमका थाना अचलगंज उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष 2. असलम पुत्र जुम्मन नि0ग्राम ससान थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 3. नन्दकिशोर पुत्र नेकराम यादव नि0ग्राम विर्ची थाना माखी जनपद उन्नाव उम्र करीब 50 वर्ष 4. नवल किशोर पुत्र नेकराम यादव नि0ग्राम विर्ची थाना माखी जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष 5. विपिन सिंह पुत्र राम प्रगट सिंह नि0ग्राम धौरहरा चौहान थाना छावनी जिला बस्ती उम्र करीब 26 वर्ष 6. दीपक पुत्र पप्पू चौरसिया नि0ग्राम दरसवां थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से डीजल,पेट्रोल,चोरी से तेल निकालने व बेचने के उपकरण, 02 अदद टैंकर, 01अदद कार जिनकी अनुमानित कीमत करीब 32,28000/- रुपये है। जिस सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु247 0स0अ0/379 धारा 2020/भादवि 411 अभियुक्त गणों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
2. आज दिनांक 26.12.2020 थाना मौरावां पुलिस व आबकारी टीम के संयुक्त अभियान के दौरान थाना मौरावां क्षेत्र के असरेन्दा गांव जाने वाले मोड के पास से 3 महिला अभियुक्तों को 150 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार 1.मु0अ0सं0 569/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम भुलाना पत्नी राम खिलावन नि0 असरेन्दा थाना मौरावां, उन्नाव, 2. मु0अ0सं0 570/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम आशा पत्नी राम बरन नि0 असरेन्दा थाना मौरावां, उन्नाव, 3. मु0अ0सं0 571/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मंगला पत्नी विजय बहादुर नि0 हसनगंज थाना बछरावां जनपद रायबरेली पंजीकृत किया गया।